

दिनाँक 19.04.2025

थाना बडौत पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. में वाँछित 25 हजार के इनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.03.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री बिलाल पुत्र गुलजार निवासी पट्टी चौधरान करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई नूर मौहम्मद व उसके दोस्त



शावेज का अपहरण कर मोबाइल से कॉल करके 02 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की गयी तथा फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- थाना बडौत पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में पूर्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेत् चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. में वाँछित 25 हजार के इनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम एरटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सूर्यदीप प्रभारी स्वाट टीम बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री महेन्द्र गौतम थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5- का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम बागपत।
- 6-का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम बागपत।
- 7-का0 402 विशाल पूनियाँ स्वाट टीम बागपत।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोपी इरफान उर्फ सोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष 04 माह का सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर तमंचे से फायर कर हमला करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 277/2013 धारा 307 भादिव, मु0अ0सं0 278/2013 धारा 25 आम्सं एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन किनवक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए 04 वर्ष 04 माह के सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।









दिनाँक 19.04.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/25 धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 106/25 धारा 70(1)



बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

उत्तम तोमर पुत्र पिन्टू तोमर निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत जनपद बागपत

दिनाँक 19.04.2025

बागपत पुलिस ने 22 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 22 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों</u> का नाम व पताः-

1-वरुण पुत्र अजीत निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2-हरिओम पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम औगान थाना वलदेव जनपद मथुरा।

3-राजन सिंह पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम औगान थाना वलदेव जनपद मथुरा।

4-विपिन पुत्र राजन सिंह निवासी

ग्राम औगान थाना वलदेव जनपद मथुरा।

5-राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

6-आबिद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।

7-कय्यूम पुत्र माँगी निवासी ग्राम सोन्टी थाना छपरौली जनपद बागपत।





- 8-विपिन पुत्र देशपाल निवसी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 9-दिलशाद पुत्र मुस्तफा निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 10-भूषण सिंह पुत्र भूल्ले राम निवासी सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 11-हरिओम पुत्र ओमबीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 12-विशाल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 13-एहसान पुत्र फीका निवासी ग्राम हेबा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 14-विवेक पंवार पुत्र विनोद पंवार निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 15-हरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 16-देवेन्द्र पुत्र सेवाचन्द उर्फ सवाचन्द निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 17-महेन्द्र पुत्र सोहनपाल खन्ना निवासी मौ0 गेट दमादम थाना सिटी झज्जर जनपद झज्जर हरियाणा।
- 18-कवरपाल पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 19-महेन्द्र पुत्र हुकमचन्द निवासी ग्राम अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 20-पवन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 21-इस्लाम पुत्र नदरुद्दीन निवासी मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 22-01 महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम।
- 2-थाना दोघट पुलिस टीम।
- 3-थाना रमाला पुलिस टीम।
- 4-थाना खेकडा पुलिस टीम।
- 5-थाना बडौत पुलिस टीम।
- 6-थाना छपरौली पुलिस टीम।
- 7-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम।



दिनाँक 19.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं 131/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमजद पुत्र शहीदु निवासी मौ० शेखपुरा थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

• 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेळडा

दिनाँक 19.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदंगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 130/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>

पुष्पेन्द्र पुत्र जगवीर निवासी ग्राम सुन्हेड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

24 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 672 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना सिंघावली अहीर

दिनाँक 19.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 141/25 धारा 189(2)/292/196(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-

18.04.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के ग्राम बिलौचपुरा में



अभियुक्तों 1. वसीम उर्फ गुडडू पठान पुत्र बिलाल, 2.अफजाल पुत्र ईशा, 3.एजाज पुत्र शाहिद, 4. इकरार 5. इस्तकार पुत्रगण कासो, 6. हाजी इबाद पुत्र लासो, 7. कलीम पुत्र सत्तार, 8. इस्तियाक पुत्र मुस्ताक, 9. आसिफ पुत्र कल्लू, 10. नावेद पुत्र बिलाल, 11. मोहसिन पुत्र शकील, 12. समीर पुत्र ननुआ, 13. शहनवाज पुत्र रोजू, 14. इश्तयाक पुत्र मुश्ताक, 15. दिलशाद पुत्र ननुआ, 16. मतलुब पुत्र शौकत, 17. काला पुत्र शाहिद,18. राशिद पुत्र शािकर,19. कािसम पुत्र सराफत, 20. कािसम पुत्र याकूब, 21. सुलतान पुत्र अमरीश निवासीगण ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व अन्य 30-35 अज्ञात द्वारा एकित्रत होकर हाथों में बैनर लेकर बिना अनुमित के जुलूस निकालकर नारेबाजी की गयी, जिससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाने की सम्भावना हो गयी। यह कृत्य बिना विधिक अनुमित के किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 141/2025 धारा 189(2)/292 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया तथा उक्त अभियोग की विवचेना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 196(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों 1.शादाब पुत्र उस्मान, 2. शानू पुत्र सुक्कन, 3. मुस्तकीम पुत्र जहीर

निवासीगण ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर बागपत के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 141/25 धारा 189(2)/292/196(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

- 1-वसीम उर्फ गुड्डू पठान निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-इश्तकार पुत्र कासो निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता
- 3-मुस्तकीम पुत्र जहीर निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-शादाव पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-मोहसीन पुत्र शकील निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता
- 6-एजाज पुत्र शाहिद निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-का0 467 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।